

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

सं०सं०-8/ज० सं०(नि०)भू-अर्जन-10-01/2015:-

/राँची, दिनांक-

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद ने जबकि वे मापक, भू-अर्जन कार्यालय, मध्यम सिंचाई परियोजना, चाईबासा (सम्प्रति-सेवानिवृत्त) के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद, (सेवानिवृत्त मापक) के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए झारखंड पेंशन नियमावली के नियम-43 बी. के तहत विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2- श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद, (सेवानिवृत्त मापक) से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान अपर निदेशक, भू-अर्जन एवं पुर्नवास, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3- उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, चाईबासा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4- प्रस्ताव पर प्रधान सचिव की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथ:- अपर निदेशक, भू-अर्जन एवं पुर्नवास, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर / विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, चाईबासा / श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद, (सेवानिवृत्त मापक), एफ/टी-36, सुवर्णरेखा सिंचाई कॉलोनी, शिविर-- शंकोसाई डिमना रोड, मानगो, जमशेदपुर- 831018 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-

/राँची, दिनांक -

प्रतिलिपि-अनुबंध की प्रति के साथ अपर निदेशक, भू-अर्जन एवं पुर्नवास, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर / विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, चाईबासा / श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद, (सेवानिवृत्त मापक), एफ/टी-36, सुवर्णरेखा सिंचाई कॉलोनी, शिविर-- शंकोसाई डिमना रोड, मानगो, जमशेदपुर- 831018 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

2- जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेंगे साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेंगे एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3- प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4- आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख /कागजात देखना चाहते हैं तो अधोहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान प्रेषित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा बिलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनु०-यथोक्त।

ह०/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-

4387

/राँची, दिनांक -

17-8-15

प्रतिलिपि- विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, चाईबासा / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

29.7.15